



2026:AHC-LKO:40874

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 12723 वर्ष 2025

मनोहर लाल तोलानी

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमन ठाकुर, विनीत त्रिपाठी

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, अंशुमन कुमार, अनुभव सिंह, नलिन अरोड़ा

न्यायालय संख्या – 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्वान विशेष अधिवक्ता श्री रत्नेश चंद्रा को सुना।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा थाना बिजनौर, जिला लखनऊ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 304/2025 में धारा 319(2), 318(2), 338, 336(2), 340(2), 61(2), 351(3) भा०न्या०सं० में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. श्री सीपी त्रिपाठी, अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, संपूर्ण अभिलेख के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं और सूचित करते हैं कि विचाराधीन संपत्ति जवाहरलाल गुरनानी को कभी बेची नहीं गई थी।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जवाहरलाल गुरनानी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से दिनांक 03.02.2015 को विक्रय विलेख के माध्यम से उक्त संपत्ति खरीदी थी, जिसका बही संख्या 1, जिल्द संख्या 18558, पृष्ठ संख्या 275 से 290 और क्रमांक 2372 है। इसके बाद, जवाहरलाल गुरनानी ने दिनांक 26.05.2017 को विक्रय विलेख के माध्यम से आकाशदीप को संपत्ति बेच दी, जिसका बही संख्या 1, जिल्द संख्या 22344, पृष्ठ संख्या 305 से 340 और क्रमांक 7289 है। इसके बाद, आकाशदीप ने दिनांक 12.10.2017 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से आवेदक को संपत्ति बेच दी, जिसका बही संख्या 1, जिल्द संख्या 22916, पृष्ठ संख्या 229 से 284 और क्रमांक 15760 है, जो प्रथम उप-पंजीयक कार्यालय, लखनऊ में दर्ज है।

4.1. आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक उक्त संपत्ति पर कब्जे में है। उक्त संपत्ति दिनांक 26.04.2025 को विक्रय विलेख (बही संख्या 1, जिला संख्या 1137, पृष्ठ संख्या 235 से 246, क्रमांक 7959) के माध्यम से शिकायतकर्ता को 50 लाख रुपये के विक्रय मूल्य पर बेची गई थी। इसके बाद, आवेदक को यह जानकारी मिली कि संपत्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की है। हालांकि, एलडीए ने यह संपत्ति कभी किसी को नहीं बेची। इसके बाद, उक्त प्र०सू० रि० दर्ज की गई।

4.2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य* के मामले में (2009) 8 एससीसी 751 में प्रकाशित फैसले पर भरोसा करते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कथित दस्तावेज जाली नहीं है क्योंकि इसे रजिस्ट्रार के कार्यालय में निष्पादित किया गया था और यह पंजीकृत भी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4.3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *एस. आनंद बनाम तमिलनाडु राज्य, एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 12177 वर्ष 2022* और *भीखुभाई गोविंदभाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य, एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 15537 वर्ष 2023* में दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है।

4.5. आगे यह निवेदन किया है कि आवेदक एक वास्तविक क्रेता है, जिसने में. आदित्य बिरला से 27 लाख रुपये की वित्तीय सहायता लेकर संपत्ति खरीदी थी और 30 लाख रुपये का विक्रय मूल्य चुकाया था। आवेदक को स्वयं आकाशदीप ने धोखा दिया था। आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। चूंकि आवेदक, जिसकी आयु लगभग 71 वर्ष है, का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

5. श्री रत्नेश चंद्रा ने बताया कि प्रारंभ में यह संपत्ति बनवारी लाल जांगरा के नाम पर आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ समस्या के कारण विनिमय के बाद उन्हें नई संपत्ति आवंटित कर दी गई और विचाराधीन संपत्ति एलडीए के पास पड़ी रही। उन्होंने आगे बताया कि यह संपत्ति जवाहरलाल गुरनानी को कभी बेची नहीं गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उप-पंजीयक प्रथम के कार्यालय में क्रमांक 2372 पर एक अन्य संपत्ति पंजीकृत है जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से संबंधित है, अर्थात् संपत्ति संख्या 7सी/747, वृंदावन योजना, और यह संपत्ति आवास एवं विकास परिषद द्वारा राजकुमार के पक्ष में बेची गई थी।

6. उप-पंजीयक श्री विनय कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के उप-आवास आयुक्त डॉ. अनिल कुमार द्वारा राजकुमार (उक्त संपत्ति के आवंटिती) के पक्ष में निष्पादित उपरोक्त पंजीकृत विक्रय विलेख की एक प्रति प्रस्तुत की है। श्री विनय का कथन है कि विचाराधीन संपत्ति हाल ही में नीलामी में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई है और ये सभी विक्रय विलेख एक ही लेन-देन से संबंधित हैं।

7. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और कहा कि शिकायतकर्ता को आवेदक द्वारा धोखा दिया गया है क्योंकि वह प्रश्रुगत संपत्ति का मालिक नहीं था, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पीयूष कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं और आवेदक का यह कर्तव्य था कि वह संपत्ति खरीदने से पहले उसके विवरण की जांच करे, क्योंकि उसने संपत्ति आकाशदीप से खरीदी थी, लेकिन आकाशदीप और जवाहरलाल गुरनानी कभी भी प्रश्नगत संपत्ति के मालिक नहीं थे, क्योंकि एलडीए ने संपत्ति जवाहरलाल गुरनानी को नहीं बेची थी, इसलिए जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि एलडीए द्वारा उक्त संपत्ति कभी भी किसी व्यक्ति को बेची नहीं गई थी। आवेदक संपत्ति का स्वामी नहीं है, बल्कि उसने 50 लाख रुपये की बिक्री राशि लेकर शिकायतकर्ता को संपत्ति बेच दी थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत मामला वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। दस्तावेज़ जाली नहीं है, लेकिन उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार न होते हुए भी, 50 लाख रुपये की बिक्री राशि लेकर उसे बेच दिया गया था। अतः, जमानत का कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार, जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।

10. यह अभिलेख श्री रत्नेश चंद्र, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्वान विशेष अधिवक्ता को वापस किया जाता है।

जून 11, 2026

अर्पण

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।